

# अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2022/294/225

पारस 4/2 ओम्पकेश वर्ग

तारीख

2022/294

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

पेशी

श्री हजारीलाल चौधरी श्री धनराम खवात

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
जारी हुए

पारस बनाम ओग प्रकाश वगैरह 294/2022

13/10  
2

पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र स्थगन एवं सुनवाई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. पेश की गई। अभिभाषक अपीलांत एवं अभिभाषक केवियटकर्ता (रेस्पोंडेन्ट संख्या 01) उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांत ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा. दी. में निवेदन किया कि अपीलांत आराजी खसरा नम्बर 526 व 527 का रिकार्डेड खातेदार, सह खातेदार है जिसमें अपीलांत को 10/21 हिस्सा निहित है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए खसरा संख्या 532, 532 व 527 में आने जाने हेतु अपीलांत की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 526 में से रास्ता दिये जाने के आदेश पारित किये। अपीलांत आराजी खसरा नम्बर 526 में से रास्ता दिये जाने के आदेश पारित किये हैं उक्त आदेश से प्रार्थीया अपीलांत असंतुष्ट एवं व्यथित पक्षकार की श्रेणी में आती है जिसके कारण प्रार्थीया अपीलांत को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान किया जाना न्यायहित में अत्यधिक आवश्यक है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायहित में प्रार्थीया/अपीलांत को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावे तथा अपील का निर्णय गुण दोष के आधार पर किये जाने की आज्ञा प्रदान करावे।

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांत ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 ने अप्रार्थी/ रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 से 04 के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 21.09.2022 को स्वीकार किया गया। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांत ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 ने अपनी खातेदारी काश्तकारी की आराजी खसरा नम्बर 532 व 535, 527 के रास्ता बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए खसरा नम्बर 532, 535 व 537 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 526 में 30 फीट चौड़ा रास्ता का रकबा 0.0324 व खसरा नम्बर 529 रकबा 0.0235 है, रास्ते हुत अंकित किये जाने के आदेश पारित किये। उक्त प्रार्थना पत्र में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के जवाब में मुताबिक खसरा नम्बर 537 की पश्चिमी दिशा में आग रास्ता गौके उपलब्ध बताया है। उक्त आग रास्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 की आराजीयात के निकटतम रास्ता है जो रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के लिए सुविधाजनक है। खसरा नम्बर 537 राधा स्वामी सत्संग व्यास के नाम दर्ज बली आ रही थी उसमें से उक्त खसरे के पश्चिमी दिशा में रास्ता होने बाबत एक रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 03.09.2009 को श्रीमती शांति देवी पत्नी टीकम चन्द शर्मा के नाम बेचाननामा रूप-पंजीयक, विजयनगर के कार्यालय में पंजीबद्ध करवाया गया था उक्त बेचाननामा में जो आराजी बेचान हुई उसमें रास्ते के लिए भूमि का बेचान किया था जो रास्ता 51 गज गुणा 5 गज अर्थात 255 वर्ग गज का रास्ता के लिए भूमि छोड़ी गई है और उक्त ही बेचान किया गया था जो की रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 की आराजीयात में जाने हेतु एक निकटतम रास्ता है इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश प्रदान करके गारी कानूनी एवं सौद्धान्तिक भूल की है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 अपीलांत की खातेदारी भूमि में से

  
अजमेर अपील प्राधिकारी  
अजमेर

# अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

294/2022/214

परम 4/5 डीएम 50R

<p>तारीख</p> <p>पेशी</p>	<p>2022/294</p> <p>श्री हजारा लाल चौधरी</p> <p>श्री C.S. Lalwani</p> <p>हुकम या कार्यवाही मय हस्ताक्षर</p>	<p>नम्बर व तारीख</p> <p>अहकाम जो इस</p> <p>हुकम की तामील</p> <p>जारी हुए</p>
<p>0-01/11/11</p>	<p>कभी भी रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग नहीं किया गया है बल्कि अपीलान्त की खातेदारी खसरा नम्बर 526 व 527 रकबा 2 बीघा 05बिसवा 05 बिसवांसी भूमि है। यदि अपीलान्त की खातेदारी की भूमि में से रास्ता दिया जाता है तो अपीलान्त के खेत के दो टुकड़े हो जाते हैं और खेत काविज काश्त नहीं रहेगा इसलिए अपीलान्त की खातेदार की भूमि में से ना तो कोई रास्ता दिया जा सकता है और ना ही वर्तमान में है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.09.2020 को तहसीलदार को मौका रिपोर्ट वाकत् आदेश प्रदान किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की गई एवं मौका रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं की गई एवं मौका रिपोर्ट वाकत् अपीलान्त को कोई नोटिस प्रदान नहीं किया गया और ना ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। उक्त मौका रिपोर्ट अपीलान्त की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना को स्थगित किया जाना अत्यधिक आवश्यक है, इसलिए अप्रार्थीगण को पाबंद फरमाया जाये कि वह अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में किसी भी प्रकार की कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं करें। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफेराला अपील उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.09.2022 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित फरमाया जावे एवं अप्रार्थीगण/रेस्पोंडेन्ट्स को पाबंद फरमाया जाये कि वह वादग्रस्त आराजी के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अभिभाषक अपीलान्त ने अपने समर्थन में 2018 डी.एन.जे.(Rev.) पेज 221, 2016 (1)आर.आर.टी.पेज 649 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैं।</p> <p>अभिभाषक केवियटकर्ता ने दोराने जवाब/वहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि प्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा वाड़ी तहसील विजयनगर में खसरा नम्बर 532, 535, 527 की भूमियों के खातेदार काश्तकार व काविज काश्त है। खसरा नम्बर 532 के दक्षिण की तरफ खसरा नम्बर 530 रकबा 0.0525 है 0 भूमि अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 की खातेदारी की चली आ रही है व इसके आगे डामर रोड चली आ रही है। प्रार्थी अरसे दराज से इसी भूमि खसरा नम्बर 530 से होकर अपनी खातेदारी की भूमि आ जा रहे हैं व कृषि वाहन इत्यादि लेकर आते जाते चले आ रहे हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 01 से अपने खेतों पर जाने के लिए दिनांक 12.07.2020 को 30 फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने के लिए मौखिक कथन किया किन्तु वह रास्ता देने से स्पष्ट इंकार कर दिया, इसलिए रास्ते वाहने वाकत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया तथा अप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार, विजयनगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 3080 दिनांक 09.09.2022 में कथन किए हैं कि प्रार्थीगण की अपनी खातेदारी की भूमि प आने जाने हेतु कोई रास्ता रिकार्ड में नहीं है। प्रार्थी अपनी भूमि में आवागमन हेतु कभी खसरा नम्बर 537 तो कभी खसरा नम्बर 530 का उपयोग करता है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि आवागमन हेतु खसरा नम्बर 526 व 529 से रास्ता दिया जाना उचित है। अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 529 में रकबा 0.0235 है 0 भूमि वाकत् रास्ते के आदेश दिये हैं, जो विधि सम्मत है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट</p>	<p>0-01/11/11</p>

राजस्व अपील प्राधिकारी  
अजमेर

294/2022/225

## अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

पार्ष 4/22/2022

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील जारी हुए
2022/294	श्री. हजारीलाल - चौधरी / श्री. G.S. बलवान	
पेशी		
लगाव	<p>संख्या 01नेपूर्त में मौखिक कथन किया था तथा प्रार्थी का उक्त खसरा नम्बर 529 में से आने जाने हेतु रास्ता का उपयोग उपयोग किया जाता रहा है। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि काश्तकार के आने जाने के लिए रास्ता का अभाव है तो रास्ता दिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21.09.2022 में किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि व विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन एवं अपील अपीलांत खारिज फरमायी जावे।</p> <p>अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. का निस्तारण करना उचित समझते हैं। प्रार्थीया/अपीलांत विवादित आराजी खसरा नम्बर 526 व 527 रकबा 2 बीघा 5 बिरवा 5 बिरवांसी का खातेदार अपीलांत है इसलिए विवादित भूमि में अपीलांत का हक व अधिकार निहित है इसलिए प्रार्थीया/अपीलांत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायहित में प्रार्थीया/अपीलांत को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीया/अपीलांत को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण संख्या 107/2020 में पारित आदेश दिनांक 21.09.2022 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।</p> <p>गुणावगुण पर अभिभाषक उभय पक्ष के द्वारा की गई बहस अपील पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट भू-निरीक्षक, लोडियाना द्वारा तैयार की गई है जिसमें ना तो पटवारी हल्का के हस्ताक्षर है ना ही प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर है इस प्रकार यह मौका रिपोर्ट केवल भू-निरीक्षक के द्वारा तैयार की जाकर तहसीलदार, विजयनगर को प्रेषित की गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 21.09.2022 को आदेश पारित किये हैं जबकि उक्त मौका रिपोर्ट में निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 529, 530 व 537 भी बताये गये हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 530 में से रास्ता की मांग की गई, किन्तु उक्त मौका रिपोर्ट में प्रार्थी के खेत खसरा नम्बरान से दूरी का विवरण अंकित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 526 में से भी रास्ता दिये जाने के आदेश दिये हैं कि खसरा नम्बर 526 के खातेदार काश्तकार पारस देवी पत्नी बाबूलाल पाण्ड्या जाति ब्राहमण को पक्षकार ही संयोजित नहीं किया है तथा बिना पक्षकार संयोजित कर पारस देवी की खातेदारी काश्तकारी खसरा नम्बर 526 में से रास्ता दिये जाने के आदेश दिये हैं जो त्रुटि पूर्ण है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट अपीलांत की अनुपस्थिति में बनाया जाना पाया जाता है। उपरोक्त सभी कारणों एवं अपीलांत के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों से सहमत होते हुए तथा एवं पक्षकारों के समय व आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण को इसी स्तर पर निस्तारण करना उचित समझते हैं। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के आदेश दिनांक 21.09.2022 को निस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि वें प्रकरण में प्रार्थीया पारस देवी पत्नी बाबूलाल पाण्ड्या जो खसरा नम्बर 526 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, को पक्षकार संयोजित कर, अप्रार्थीगण से जवाब प्राप्त कर, धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही में राजस्थान काश्तकारी</p>	

राजस्व अपील प्राधिकारी  
अजमेर

लगाव

294/2022/25 अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर  
PKM 4/S 31/5/2022

<p>तारीख पेशी</p>	<p>2022/294 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री <del>देवी पत्नी बाबूलाल पाण्डया</del> श्री G.S. लखवार</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए</p>
<p>2022/294</p>	<p>अधिनियम 1955 के सरकारी नियम 69 के प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः मौके की सभी पक्षकारान की उपस्थिति में रेस्पोजेन्ट संख्या 01/प्रार्थी की खातेदारी खसरा नम्बर 532, 535, 527 को ध्यान में रखते हुए कानूनी प्रावधानों के अनुसार मौका रिपोर्ट तलब कर यदि मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्राप्त होती है तो मौका रिपोर्ट आपत्ति का निस्तारण कर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें।</p> <p>अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 107/2020(2020/00249) में पारित आदेश दिनांक 21.09.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में प्रार्थीया पारस देवी पत्नी बाबूलाल पाण्डया जो खसरा नम्बर 526 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, को पक्षकार संयोजित कर, अप्रार्थीगण से जवाब प्राप्त कर, धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सरकारी नियम 69 के प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः मौके की सभी पक्षकारान की उपस्थिति में रेस्पोजेन्ट संख्या 01/प्रार्थी की खातेदारी खसरा नम्बर 532, 535, 527 को ध्यान में रखते हुए कानूनी प्रावधानों के अनुसार मौका रिपोर्ट तलब कर यदि मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्राप्त होती है तो मौका रिपोर्ट आपत्ति का निस्तारण कर पुनः 30 दिवस में विधि सम्मत आदेश पारित करें। उभयपक्षकारान को उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के न्यायालय में दिनांक 04.11.2022 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण में सप्ताह भर की चार तारीख पेशियाँ देकर प्रकरण का निस्तारण करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)  
राजस्व अपील प्राधिकारी,  
अजमेर